377

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः- /XVII-3/16-07 (03-MSDP)/2015

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 22 सितम्बर, 2016**

विषयः- केन्द्र सहायतित एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद में ग्राम कासमपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-321/XVII-3/15-07(03 MSDP)/15, दिनांक 30.03.15 एवं संख्या-1040/XVII-3/15-07(03MSDP)/2015, दिनांक 07.07.15 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमशः दिनांक 23.02.15 एवं 21.04.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में एवं 2015-16 में जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद के ग्राम कासमपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 378.45 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹ 340.80 लाख + अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 37.65 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹ 141.92 लाख एवं राज्यांश ₹ 47.3025 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 189.2225 लाख (₹ एक करोड नवासी लाख बाईस हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में आपके पत्रांक-723/नि.अ.क./M.S.D.P.Budget/2016-17, दिनांक 08.09.2016, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847, दिनांक 26.07.2016 तथा शासनादेश संख्या-965, दिनांक 19.08.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/20(4)/2013-पी0पी0-1, दिनांक 15.07.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त 75% केन्द्रांश की धनराशि ₹ 141.9175 लाख एवं 25% राज्यांश की धनराशि ₹ 47.31 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 189.2275 लाख (₹ एक करोड नवासी लाख बाई हजार सात सौ पचास मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.07.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1017/206 -रा. यो.आ.(तक. जांच)/2016, दिनांक 05.09.2016 के क्रम में प्राप्त तृतीय पक्ष की जांच आख्यानुसार निर्माण कार्यों में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत योजनान्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश) के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि जांच आख्या में पायी गयी कमियों को संबंधित कार्यदायी संस्था के

द्वारा दूर करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पुनः जांच कराये जाने के पश्चात् ही अवशेष 20 प्रतिशत की धनराशि संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम से निष्पादित एम0ओ0ए0 के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही ससमय सम्पन्न की जायेगी।
4. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाय।
8. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पडती है तो उच्च शिक्षा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
10. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
11. शेष शर्तें/प्राविधान पूर्व शासनादेश दिनांक 30.03.2015 एवं दिनांक 07.07.2015 के अनुसार लागू होंगे।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 'आयोजनागत' के "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना" के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश शासनादेश संख्याः 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या–S1609150366 ,दिनांक22 .09.2016 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847, दिनांक 26.07.2016 एवं शासनादेश संख्या–965, दिनांक 19.08.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–1416(1)/XVII-3/16, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या–1017/206 –रा. यो.आ.(तक. जाच)/2016, दिनांक 05.09.2016 के क्रम में।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 रा0 नि0 नि0 लि0, ई0 34, नेहरू कालोनी देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।